भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 948
जिसका उत्तर शुक्रवार, 03 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

समान नागरिक संहिता

+948. श्री गोपाल शेट्टी :
क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार ने तलाक और भरण-पोषण के मामले में समानता लाने हेतु सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता अधिनियम बनाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गयी टिप्पणी पर ध्यान दिया है ;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;
(ग) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि और न्याय मंत्री को इस संबंध में नोटिस जारी किया है और विधि आयोग को तीन माह के भीतर तलाक और गुजारा भत्ता से संबंधित समान नागरिक संहिता तैयार करने का निदेश भी जारी किया है ; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 2020 की 869 और 2020 की 1144 में भारत संघ को सूचना जारी की जिसमें याचिकाकर्ता ने विवाह-विच्छेद, भरण-पोषण और निर्वाह भत्ता के आधारों पर विषमताओं को दूर करने के लिए कदम उठाने हेतु प्रत्यर्थी को निदेश जारी करने की प्रार्थना की है और संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 44 और अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों की भावना के अनुरुप तीन मास के भीतर विवाह-विच्छेद, भरण-पोषण और निर्वाह भत्ते के एकरूप आधारों की परीक्षा करने और उन पर सुझाव देने के लिए भारत ीय विधि आयोग को निदेश देने के लिए भी प्रार्थना की है ।

मामला न्यायालयाधीन है

****